

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 420 /3क(2)/अनि.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 17(1)(क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित/स्थानान्तरण अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी0 (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय / संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	डॉ मनोज कुमार शुक्ला	गणित	एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून, रायपुर, देहरादून	रा0इ0का0 सेमण्डीधार, जाखणीधार, टिहरी
2	श्री उमेश चंद्र सती	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 जोशीमठ, जोशीमठ, चमोली	रा0इ0का0 बडागाँव, जोशीमठ, चमोली
3	श्री मनोज कुमार शर्मा	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 मोहितपुर, भगवानपुर, हरिद्वार	रा0इ0का0 सेमण्डीधार, जाखणीधार, टिहरी
4	अर्चना सती	हिन्दी	रा0इ0का0 जाखणीधार, जाखणीधार, टिहरी	रा0इ0का0 खांकर, नरेन्द्रनगर, टिहरी
5	श्रीमती कुसुमलता राणा	विज्ञान	रा0इ0का0 बौराड़ी नई टिहरी, चम्बा, टिहरी	रा0इ0का0 खण्डकरी, चम्बा, टिहरी
6	वन्दना शर्मा	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 कोटड़ीढांग, दुगडा, पौड़ी	रा0इ0का0 माण्डई, दुगडा, पौड़ी
7	शशि जोशी	विज्ञान	रा0इ0का0 दुआधर, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा0इ0का0 बेडधार, नरेन्द्रनगर, टिहरी
8	श्री राकेश रतूड़ी	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 दुआधर, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा0इ0का0 उप्पू, थौलधार, टिहरी
9	विजया भट्ट	हिन्दी	रा0इ0का0 रतूडा (धनपुर), अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 पित्रधार, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
10	सुषमा रौथाण	कला	रा0इ0का0 बुल्लावाला, डोईवाला, देहरादून	रा0इ0का0 मुन्नाखाल, देवप्रयाग, टिहरी

11	श्री नंदन सिंह राणा	हिन्दी	रा0इ0का0 जवाडी, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 पोखरी, नरेन्द्रनगर, टिहरी
12	श्री प्रदीप कुमार	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 खेडी कला, लक्सर, हरिद्वार	रा0उ0मा0वि0 बिन्द्रातोक, द्वारीखाल, पौडी
13	ममता पुंडीर	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 शेरगढ़, डोईवाला, देहरादून	रा0उ0मा0वि0 काण्डोईधार, कालसी, देहरादून
14	श्री सुशील जोशी	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 भल्लेगांव, देवप्रयाग, टिहरी	रा0इ0का0 रिगोली, कीर्तिनगर, टिहरी
15	श्री अतर सिंह	गणित	रा0इ0का0 थत्यूड, जौनपुर, टिहरी	रा0इ0का0 कुन्नाडागुरा, कालसी, देहरादून
16	रजनी नेगी	गणित	रा0इ0का0 होरावाला, विकासनगर, देहरादून	रा0इ0का0 ठांगधार, चम्बा, टिहरी
17	श्री रजनेश कुमार	कला	रा0इ0का0 बड़कोट, जाखणीधार, टिहरी	रा0इ0का0 सेमण्डीधार, जाखणीधार, टिहरी
18	रेनू नवानी	कला	रा0इ0का0 जोशीमठ, जोशीमठ, चमोली	रा0इ0का0 बडागाँव, जोशीमठ, चमोली
19	रेखा ध्यानी	अंग्रेजी	रा0इ0का0 द्वारीखाल, द्वारीखाल, पौडी	रा0उ0मा0वि0 जुड्डा रौडियाल, दुगड्डा, पौडी
20	श्री चिंतामणि डंगवाल	कला	रा0इ0का0 रानीचौरी, चम्बा, टिहरी	रा0इ0का0 नागदेव पथल्ड, चम्बा, टिहरी
21	श्री शीशपाल सिंह	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 रतूडा (धनपुर), अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 क्वीली कुरझण, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
22	श्री अरविंद चंद्र बहुगुणा	हिन्दी	रा0इ0का0 जाखणीधार, जाखणीधार, टिहरी	रा0इ0का0 नौघर पालकोट, नरेन्द्रनगर, टिहरी
23	श्री अखिलेश व्यास	कला	रा0इ0का0 उत्तरकाशी, भटवाडी, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 पाटा, भटवाडी, उत्तरकाशी
24	संतोषी रावत	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 मोहितपुर, भगवानपुर, हरिद्वार	रा0इ0का0 सौली (कौड़िया), जयहरीखाल, पौडी
25	श्री पदम सिंह नेगी	हिन्दी	रा0इ0का0 कोठगी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 मलेथा, चकराता, देहरादून
26	कुसुम खण्डूडी	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 बड़कोट, जाखणीधार, टिहरी	रा0इ0का0 कनैलधार, जाखणीधार, टिहरी
27	श्री राजदर्शन सिंह मखलोगा	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 बड़कोट, जाखणीधार, टिहरी	रा0इ0का0 देवताधार ऑण, प्रतापनगर, टिहरी
28	श्रीमती रश्मि रावत	गणित	रा0इ0का0 मटियाली, दुगड्डा, पौडी	रा0इ0का0 काण्डाखाल कौड़िया, जयहरीखाल, पौडी
29	स्नेहलता सकलानी	कला	रा0उ0मा0वि0 बड़कोट, डोईवाला, देहरादून	रा0उ0मा0वि0 घोड़पाला, बीरोंखाल, पौडी
30	श्री गीताराम भक्ति	गणित	रा0इ0का0 नेताला, भटवाडी, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 सूरी, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी
31	श्री राजेश लाल नथवान	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 कोठगी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 लदोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

32	प्रदीप कुमार शुक्ला	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 देवप्रयाग, कोट, पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 भुटगाँव, जौनपुर, टिहरी
33	श्रीमती आरती गौड़	गणित	रा0उ0मा0वि0 ओबरी, चम्बा, टिहरी	रा0इ0का0 अमोला, द्वारीखाल, पौड़ी
34	वीना रानी	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 हरियावाला, सहसपुर, देहरादून	रा0उ0मा0वि0 अष्टाड़, कालसी, देहरादून
35	श्रीमती स्मिता	कला	रा0इ0का0 बौराड़ी, चम्बा, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 कण्डई, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी
36	अमु खंपा	कला	रा0इ0का0 जाखणीधार, टिहरी	रा0इ0का0 कोटधार गमरी, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी
37	श्री कैलाश चन्द्र चन्द्रवाल	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 बैरागना, दशोली, चमोली	रा0इ0का0 देवखाल, दशोली, चमोली
38	कविता मनोरी	कला	रा0उ0मा0वि0 ढकरानी, विकासनगर, देहरादून	रा0इ0का0 खोला कड़ाकोट, कीर्तिनगर, टिहरी
39	सरिता देवी	कला	रा0इ0का0 हिंडोलाखाल, देवप्रयाग, टिहरी	रा0इ0का0 ललूडीखाल, देवप्रयाग, टिहरी
40	उजाली सिंह	व्यायाम	रा0इ0का0 बछेलीखाल, देवप्रयाग, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 कफनौल, नौगाँव, उत्तरकाशी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।


डॉ.(एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
मढ़वाल मण्डल पौड़ी।


पृ0सं0/सेवा.अराज./ 5531-44

/3क(2)/अनि.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्ति की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


 अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 426 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी 17(1)(ख)(एक)- गम्भीर रोगग्रस्त/विकलांग शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी यथालागू की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी0 (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील कुमार	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 लोहारी, चकराता, देहरादून	रा0उ0मा0वि0 डूंगा, सहसपुर, देहरादून
2	श्री राकेश चन्द्र मठपाल	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 पजिटीलानी, कालसी, देहरादून	रा0इ0का0 नालापानी, रायपुर, देहरादून
3	सुधा भट्ट	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 अणु, चकराता, देहरादून	रा0उ0मा0वि0 कुन्जाग्रान्ट, विकासनगर, देहरादून
4	श्री मनीष वशिष्ठ	सामाजिक विज्ञान	अ0उ0रा0इ0का0 सारी, जयहरीखाल, पौड़ी	रा0इ0का0 दुगड्डा, पौड़ी
5	श्री राजेन्द्र सिंह	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 क्वानू, चकराता, देहरादून	रा0इ0का0 माजरीमाफी, डोईवाला, देहरादून
6	श्री प्रदीप कुमार	गणित	रा0उ0मा0वि0 परोगी, जौनपुर, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 शेरगढ़, डोईवाला, देहरादून
7	श्रीमती सुमित्रा शर्मा	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 जाड़ी, चकराता, देहरादून	रा0उ0मा0वि0 रुद्रपुर, विकासनगर, देहरादून
8	श्रीमती हेमलता हटवाल	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 रौतू की बेली, जौनपुर, टिहरी	रा0इ0का0 मेदनीपुर बद्रीपुर, विकासनगर, देहरादून
9	श्री मनोज ममगाई	गणित	रा0इ0का0 खोला कड़ाकोट, कीर्तिनगर, टिहरी	रा0इ0का0 छरबा, सहसपुर, देहरादून
10	सीमा आर्य	हिन्दी	अ0उ0रा0इ0का0 पुजारगांव, जौनपुर, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 हरजौली जट्ट, नारसन, हरिद्वार

11	श्री लक्ष्मी प्रसाद उनियाल	हिन्दी	रा0इ0का0 गैर नगुण, थौलधार, टिहरी	रा0इ0का0 तपोवन, नरेन्द्रनगर, टिहरी
12	कमलेश शाही	सामाजिक विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 बैराईगांव, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा0इ0का0 आई0डी0पी0एल0 वीरभद्र ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून
13	कु0 ममता वशिष्ठ	विज्ञान	रा0इ0का0 ग्वासापुल, चकराता, देहरादून	रा0इ0का0 खुडबुडा, रायपुर, देहरादून
14	श्री प्रवेश कटारिया	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 चिवॉ, मोरी, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 भेल, बहादराबाद, हरिद्वार
15	श्री भगवती प्रसाद पुरोहित	गणित	रा0उ0मा0वि0 ठकरासाधार, कालसी, देहरादून	रा0इ0का0 खदरी खड़कमाफ, डोईवाला, देहरादून
16	श्री जितेन्द्र सिंह	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 चमकोट, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 कटापत्थर, विकासनगर, देहरादून
17	श्रीमती पुष्पा रौतेला खनी	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 नौघर, जौनपुर, टिहरी	रा0इ0का0 किशनपुर, रायपुर, देहरादून
18	श्रीमती विजया किमोठी	हिन्दी	रा0इ0का0 खोला कड़ाकोट, कीर्तिनगर, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 डडुवा, कीर्तिनगर, टिहरी
19	श्री राकेश चन्द्र देवली	गणित	रा0इ0का0 नरेन्द्रनगर, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा0इ0का0 लक्ष्मणझूला, यमकेश्वर, पौड़ी
20	श्री विपिन प्रकाश बहुगुणा	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 सरठेडी, भगवानपुर, हरिद्वार	रा0उ0मा0वि0 बन्जारे वाला, भगवानपुर, हरिद्वार
21	श्री योगेश कुमार	विज्ञान	अ0उ0रा0इ0का0 जसपुर, थलीसैण, पौड़ी	रा0इ0का0 कमान्दा, नैनीडांडा, पौड़ी
22	श्री राजीव कुमार	गणित	रा0उ0मा0वि0 माला, यमकेश्वर, पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 रानीमाजरा, बहादराबाद, हरिद्वार
23	श्री तिजेन्द्र सिंह	व्यायाम	रा0इ0का0 न्यूलीअकरी, कीर्तिनगर, टिहरी	रा0इ0का0 काण्डीखाल, थौलधार, टिहरी
24	श्री रजनीश सिंह	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 मोटणा, प्रतापनगर, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 तांशीपुर, रूडकी, हरिद्वार
25	श्री भवनेश कुमार पाल	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 कोटिभरपूर, देवप्रयाग, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 बन्जारेवाला, भगवानपुर, हरिद्वार
26	श्री अजीत कुमार	व्यायाम	रा0इ0का0 देवखाल, दशोली, चमोली	रा0इ0का0 नैनबाग, जौनपुर, टिहरी
27	पूनम यादव	अंग्रेजी	रा0इ0का0 नकुर्ची, जौनपुर, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 अकबरपुर झोझा, रूडकी, हरिद्वार
28	श्रीमती पुष्पलता	विज्ञान	रा0इ0का0 नकुर्ची, जौनपुर, टिहरी	रा0इ0का0 हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून
29	श्रीमती मीनाक्षी शाह	हिन्दी	अ0उ0रा0इ0का0 बरोटीवाला, विकासनगर, देहरादून	रा0इ0का0 द्वारा, रायपुर, देहरादून
30	श्री यशवन्त सिंह	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 उडरी, डुण्डा, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 कन्ताड़ी, पुरोला, उत्तरकाशी
31	श्री अमरनाथ	हिन्दी	रा0इ0का0 गरखेत, जौनपुर, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 कुमाल्डा, जौनपुर, टिहरी

32	श्रीमती गुडमाला	विज्ञान	रा0इ0का0 सावड़ा, चकराता, देहरादून	रा0इ0का0 डामटा, नौगाँव, उत्तरकाशी
33	श्री अवनीश	अंग्रेजी	रा0इ0का0 आलकोट, थराली, चमोली	रा0इ0का0 कोटडीढांग, दुगड्डा, पौडी
34	श्रीमती पूनम नेगी	सामाजिक विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 मंजकोट, थौलधार, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 भारापुर भौरी, रूड़की, हरिद्वार
35	श्री मोहन सिंह	गणित	रा0उ0मा0वि0 रौंता, पोखरी, चमोली	रा0उ0मा0वि0 चौरखाल, पाबौ, पौडी
36	श्री सोहन सिंह नेगी	गणित	रा0उ0मा0वि0 निवालगांव, भिलंगना, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 चौल्ली शहाबुद्दीनपुर, भगवानपुर, हरिद्वार
37	पूजा नेगी	विज्ञान	रा0इ0का0 श्रीकालखाल, डुण्डा, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 श्यामपुर, बहादराबाद, हरिद्वार
38	श्री मनीष कुमार गागट	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 बरौंथा, चकराता, देहरादून	रा0इ0का0 नागथात, कालसी, देहरादून
39	श्रीमती भारती बिष्ट	कला	रा0इ0का0 खालसी, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 तुल्याडा, चि0सौड़, उत्तरकाशी
40	श्रीमती आंचल कुमारी	कला	रा0इ0का0 मठियाली, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 बेलडी, रूड़की, हरिद्वार
41	श्री ललित सिंह	विज्ञान	रा0इ0का0 सिलपाटा, गैरसैण, चमोली	रा0इ0का0 गैण्डीखाता, बहादराबाद, हरिद्वार
42	श्री अरविन्द कुमार	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 ऐठी, थलीसैण, पौडी	रा0इ0का0 बीरौंखाल, पौडी
43	श्री संजीव मिश्र	गणित	रा0इ0का0 कपरोली, थलीसैण, पौडी	रा0इ0का0 गैण्डीखाता, बहादराबाद, हरिद्वार
44	श्रीमती नेहा	गणित	रा0इ0का0 कटखेत (नगुण), थौलधार, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 किला मंगलौर, नारसन, हरिद्वार
45	श्री मनोज कुमार दौरियाल	कला	रा0इ0का0 डुण्डा, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 डामटा, नौगाँव, उत्तरकाशी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये है यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5615-28/3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्ति की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 427 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी 17(1)(ख)(दो) मानसिक रूप से विकसित एवं लाचार बच्चों के माता-पिता श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी0 (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री मनवीर	गणित	अ0उ0रा0इ0का0 कलोगी, नौगांव, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 सिंगटाली, नरेन्द्रनगर, टिहरी
2	श्री जीतेन्द्र प्रसाद	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 दांथा, पोखड़ा, पौड़ी	रा0इ0का0 कोटद्वार, दुगड़डा, पौड़ी
3	पूनम बिष्ट	हिन्दी	रा0इ0का0 कोटी चॉदपुर, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0इ0का0 गैरसैण, चमोली
4	श्री हर्षवर्धन	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 कोठियाडा, भिलंगना, टिहरी	रा0इ0का0 बिनकखाल, भिलंगना, टिहरी
5	श्रीमती गीता राणा	गणित	रा0उ0मा0वि0 भैंगा, प्रतापनगर, टिहरी	रा0इ0का0 निजामपुर, नारसन, हरिद्वार
6	श्री मुकेश	गणित	रा0उ0मा0वि0 कुरछोला, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 मटियावा, कालसी, देहरादून
7	श्री सुनील कुमार	हिन्दी	रा0इ0का0 बिडोली, पाबौ, पौड़ी	रा0इ0का0 मोल्टाड़ी, पुरोला, उत्तरकाशी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/ शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।

- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी.) जोशी

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

हरिद्वार मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5629-42 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्ति की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

हरिद्वार मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 428 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी धारा 17(1)(ख)(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी0 (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पूनम कुंवर	विज्ञान	रा0इ0का0 ग्वालदम, थराली, चमोली	रा0इ0का0 लंगासू, कर्णप्रयाग, चमोली
2	श्रीमती बबीता रावत	हिन्दी	अ0उ0रा0इ0का0 कलोगी, नौगांव, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 नौगांव, नौगांव, उत्तरकाशी
3	श्री जयदेव बडोनी	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 पालीलंगूर, द्वारीखाल, पौड़ी	रा0इ0का0 सेन्धीखाल, जयहरीखाल, पौड़ी
4	श्री महेशमोहन कुकरेती	व्यायाम	रा0इ0का0 मठाली, जयहरीखाल, पौड़ी	रा0इ0का0 धोबीघाट, दुगड्डा, पौड़ी
5	श्री प्रभाकर सिंह रावत	व्यायाम	अटल उत्कृष्ट रा0इ0का0 चेलूसैण, द्वारीखाल, पौड़ी	रा0इ0का0 जयहरीखाल, लैन्सडौन, जयहरीखाल, पौड़ी
6	श्री शैलेन्द्र सिंह राणा	विज्ञान	अ0उ0रा0इ0का0 रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 कमसाल, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
7	श्री पान सिंह नेगी	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 निजमूला, दशोली, चमोली	रा0इ0का0 सावरीसैण, दशोली, चमोली
8	श्री लक्ष्मीकांत बड़थवाल	गणित	डायट पौड़ी, खिर्सू, पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 उरेगी, पौड़ी, पौड़ी
9	श्री ओम प्रकाश जोशी	सामाजिक विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 भौंसाल, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 देहलचौरी, कोट, पौड़ी
10	श्री रिपुदमन सिंह नेगी	अंग्रेजी	रा0इ0का0 भल्लेगाँव, देवप्रयाग, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 डडुवा, कीर्तिनगर, टिहरी
11	श्री हरदेव सिंह विष्ट	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 टाटवाला हरिद्वार, बहादुराबाद, हरिद्वार	रा0उ0मा0वि0 भगतनपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार
12	श्री दिनेश चन्द्र जुयाल	विज्ञान	रा0इ0का0 ज्ञानसू, चम्बा, टिहरी	रा0इ0का0 दुंगीधार, चम्बा, टिहरी

13	गंगोत्री देवी	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 स्यालूंगा, दुगड्डा, पौडी	रा0इ0का0 मटियाली, दुगड्डा, पौडी
14	श्री मंगल सिंह रावत	सामाजिक विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 पुडियाणी, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0इ0का0 गौणा, दशोली, चमोली
15	श्री सुधीर चन्द्र बधाणी	गणित	रा0इ0का0 बौन पजियाला, डुण्डा, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 अठाली, भटवाडी, उत्तरकाशी
16	श्री योगेन्द्र लाल	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 दोन्दल, कोट, पौडी	रा0इ0का0 नैनबाग, जौनपुर, टिहरी
17	श्रीमती कुमुद मलासी	अंग्रेजी	रा0इ0का0 पैठाणी, थलीसैण, पौडी	रा0उ0मा0वि0 पलोटा, कोट, पौडी
18	श्रीमती सविता प्रभाकर	अंग्रेजी	अ0उ0रा0इ0का0 सिद्धखाल, रिखणीखाल, पौडी	रा0उ0मा0वि0 काण्डा, रिखणीखाल, पौडी
19	रोशनी थपलियाल	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 कुजासू, पोखरी, चमोली	रा0उ0मा0वि0 क्यारा जमोला, नरेन्द्रनगर, टिहरी
20	श्रीमती गीतांजली	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 बुराँसी, , द्वारीखाल, पौडी	रा0इ0का0 धोबीघाट, दुगड्डा, पौडी
21	श्रीमती अर्चना तोमर	हिन्दी	अ0उ0रा0इ0का0 गैण्डखाल, यमकेश्वर, पौडी	रा0उ0मा0वि0 क्यारी, कालसी, देहरादून
22	दीप शिखा त्यागी	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 गबेला, चकराता, देहरादून	रा0उ0मा0वि0 समाल्टा, कालसी, देहरादून
23	मनीषा धिल्डियाल	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 कपरोली, थलीसैण, पौडी	लीलावती रा0इ0का0 निसनी, पौडी, पौडी
24	श्रीमती गीता देवी	कला	रा0इ0का0 कालेश्वर, पौडी, पौडी	रा0इ0का0 जखण्ड, कीर्तिनगर, टिहरी
25	श्रीमती सीमा पुण्डरी	व्यायाम	अ0उ0रा0इ0का0 नन्दानगर, चमोली	रा0इ0का0 सावरीसैण, दशोली, चमोली
26	सुनीता रावत	व्यायाम	रा0इ0का0 हरगढ़, गैरसैण, चमोली	रा0उ0मा0वि0 कण्डेरी, पाबौ, पौडी
27	श्री गुरु प्रसाद	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 पटारा, डुण्डा, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 ईड धनारी, डुण्डा, उत्तरकाशी
28	सीमा बुटोला	व्यायाम	रा0इ0का0 घिमतोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 मालतोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
29	श्रीमती अल्का	हिन्दी	रा0इ0का0 रणसोलाधार, देवप्रयाग, टिहरी	रा0इ0का0 बछेलीखाल, देवप्रयाग, टिहरी
30	श्री अनिल कुमार नौटियाल	विज्ञान	अटल उत्कृष्ट रा0इ0का0 जामलाखाल, कोट, पौडी	रा0इ0का0 रौतू की बेली, जौनपुर, टिहरी
31	श्रीमती संगीता थपलियाल	हिन्दी	अ0उ0रा0इ0का0 बसन्तपुर, कोट, पौडी	रा0इ0का0 बड़खोलू, कल्जीखाल, पौडी
32	अंजना रानी	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 गडरी, पोखडा, पौडी	रा0उ0मा0वि0 डेलना, रूडकी, हरिद्वार
33	श्री आनन्द सिंह तोमर	अंग्रेजी	अ0उ0रा0इ0का0 नैटवाड़, मोरी, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 भंकोली, नौगांव, उत्तरकाशी
34	श्री संजीव मोहन	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 बेड़गाँव, कल्जीखाल, पौडी	रा0इ0का0 जाखी डागर, कीर्तिनगर, टिहरी
35	श्री धर्मेन्द्र सिंह नेगी	विज्ञान	अटल उत्कृष्ट रा0इ0का0 चेलूसैण, द्वारीखाल, पौडी	रा0इ0का0 धोबीघाट, दुगड्डा, पौडी
36	श्री हरि लाल	संस्कृत	रा0उ0मा0वि0 खैनोली, नारायणबगड़, चमोली	रा0इ0का0 लंगासू, कर्णप्रयाग, चमोली

37	श्री सतीश सिंह	गणित	रा0इ0का0 रतूडा, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 तूना, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग
38	श्री केतन चमोली	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 हयोटरगरी, कालसी, देहरादून	रा0इ0का0 पजिटीलानी, कालसी, देहरादून
39	श्री योगेन्द्र सिंह कुंवर	विज्ञान	अ0उ0रा0इ0का0 गोपेश्वर, दशोली, चमोली	रा0उ0मा0वि0 मोहितपुर, भगवानपुर, हरिद्वार
40	श्री धनेन्द्र सिंह रावत	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 टीला, थलीसैण, पौड़ी	रा0इ0का0 म्याणी, जौनपुर, टिहरी
41	श्रीमती अजीता भण्डारी	गणित	रा0इ0का0सौरा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा0आ0की0इ0का0 उत्तरकाशी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी
42	श्री देवेन्द्र कुमार	व्यायाम	अ0उ0रा0इ0का0 कोतुली, नारायणबगड़, चमोली	रा0उ0मा0वि0 कण्डवालगाँव, नारायणबगड़, चमोली
43	श्रीमती अनुसूया राणा	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 कैलाश बांगर, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 गोती, जखोली, रूद्रप्रयाग
44	यामिनी नागर	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 टिमरा, कालसी, देहरादून	रा0उ0मा0वि0सालियर, रूडकी, हरिद्वार

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ. (एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5643-56 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्ति की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


 अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
 मढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ५२९ / 3क(2)/वा.स्था./ 2024-25 / दिनांक 30 जुलाई 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी 17(1)(ख)(पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी0 (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री महेन्द्र सिंह परमार	व्यायाम	रा0इ0का0 घेस, देवाल, चमोली	रा0उ0मा0वि0 रैणी, जोशीमठ, चमोली
2	श्री शिवप्रसाद	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 पुडियाणी, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0उ0मा0वि0 कोटी भरपूर, देवप्रयाग, टिहरी
3	श्रीमती शशि नेगी	गणित	रा0उ0मा0वि0 नाल्ड, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 नैलखन्सर, गैरसैण, चमोली
4	श्रीमती शशि गुसाई	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 बाड़ा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 नगरासू, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
5	श्री प्रदीप राणा	गणित	रा0इ0का0 मयकोटी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 गन्धारी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
6	श्रीमती शशि प्रभा डिमरी	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 दुर्मी, दशोली, चमोली	रा0इ0का0 थत्यूड, जौनपुर, टिहरी
7	आशा रावत	हिन्दी	रा0इ0का0 सिलंगी, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0इ0का0 रतूड़ा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
8	श्री अमित प्रकाश	व्यायाम	अ0उ0रा0इ0का0 तैला सिलगढ, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 बष्ठी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
9	सुचिता कठैत	व्यायाम	अ0उ0रा0इ0का0 मथकुडीसैण, भिलंगना, टिहरी	रा0इ0का0 मगरौं, भिलंगना, टिहरी
10	श्रीमती सरोज फुलौरिया	हिन्दी	रा0इ0का0 थल्दा, जयहरीखाल, पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 बूचाखाल, जयहरीखाल, पौड़ी
11	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 पुडियाणी, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0इ0का0 गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली

12	किरण भट्ट	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 झिलोटी, पोखरी, चमोली	रा0इ0का0 अलकापुरी, दशोली, चमोली
13	श्रीमती पदमा नेगी	व्यायाम	रा0इ0का0 लदोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 मैखोली, गैरसैण, चमोली
14	श्री विजय प्रसाद डोभाल	गणित	रा0इ0का0 रगडी, भिलंगना, टिहरी	रा0इ0का0 बडकोट, नौगँव, उत्तरकाशी
15	श्रीमती सरिता रावत	हिन्दी	रा0इ0का0 बगासूधार, चम्बा, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 बादशाहीथोल, चम्बा, टिहरी
16	श्रीमती मीना लखेडा	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 बाण्डा, थौलधार, टिहरी	रा0इ0का0 बछेलीखाल, देवप्रयाग, टिहरी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी.) जोशी

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।


पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5657-70

/3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।

6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्ति की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


 15/30/24
 अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 431 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी धारा 17(1)(ख)(सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी0 (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री देवेन्द्र कुमार जोशी	अंग्रेजी	रा0इ0का0 तिलकनगर, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 भगवती, नारायणबगड़, चमोली
2	श्री राजेन्द्र पुरी	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 नेताला, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 उडरी, डुण्डा, उत्तरकाशी
3	श्री संदीप प्रकाश गैरोला	अंग्रेजी	रा0इ0का0 नारायणकोटि, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 देवर, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग
4	श्रीमती आरती	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 पाटीसैण, एकेश्वर, पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 चौरखाल, पाबौ, पौड़ी
5	गयासुद्धीन सिद्धिकी	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 भौंसाल, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 नागजगई, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
6	श्री देवेन्द्र सिंह बर्त्वाल	विज्ञान	रा0इ0का0 काण्डा भरदार, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 हंसकोटी, नारायणबगड़, चमोली
7	श्री विनोद प्रकाश	हिन्दी	अ0उ0रा0इ0का0 रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 बसुकेदार, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
8	श्री रघुवीर सिंह	हिन्दी	रा0इ0का0 क्यूजा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 पूलन बांगर, जखोली, रुद्रप्रयाग
9	श्री सुनील कुमार	वाणिज्य	अ0उ0रा0इ0का0 चमियाला, भिलंगना, टिहरी	रा0इ0का0 रणाकोट, नरेन्द्रनगर, टिहरी
10	श्रीमती रचना बहुगुणा	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 केमधार बाड़ा, पौड़ी, पौड़ी	रा0इ0का0 जगतेश्वर, पाबौ, पौड़ी

11	हिना अंसारी	सामान्य	अ0उ0रा0इ0का0 लम्बगांव, प्रतापनगर, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 पडिण्डा, बीरोंखाल, पौडी
12	श्री रोशन लाल भारती	अंग्रेजी	रा0इ0का0 दैडा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 तुलंगा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी. जोशी)


अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5685-98 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट

9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 433 /3क(2)/अनि.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विधि/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 17(1)(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित/स्थानान्तरण अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार सुगम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है-

सहायक अध्यापक एल0टी0 (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय/ संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री शमशेर सिंह चौहान	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 जखोल, मोरी, उत्तरकाशी	रा0आ0इ0का0 हुडोली, पुरोला, उत्तरकाशी
2	श्री सुजान सिंह	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 बरसिर, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 चोपडा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
3	श्री दिनेश लाल	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 होल्टा, भिलंगना, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 रौंसाल, भिलंगना, टिहरी
4	श्री मदन सिंह रावत	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 क्याक बरसूडी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 चन्द्रापुरी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
5	श्री जसपाल सिंह मिया	व्यायाम	रा0इ0का0 बिनकखाल, भिलंगना, टिहरी	रा0इ0का0 केमरा केमर, भिलंगना, टिहरी
6	श्री देवी प्रसाद तिवारी	व्यायाम	रा0इ0का0 मोख, नंदानगर, चमोली	रा0उ0मा0वि0 उमटटा, कर्णप्रयाग, चमोली
7	श्री केशव राम	अंग्रेजी	रा0इ0का0 हर्षिल, भटवाडी, उत्तरकाशी	रा0इ0का0 बर्नीगाड, नौगाँव, उत्तरकाशी
8	श्री धर्मानन्द चमोला	सामाजिक विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 बष्ठी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 मयकोटी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
9	श्री मोहन सिंह नेगी	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 घिमतोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 कण्डारा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
10	श्री चन्द्रमोहन नैथानी	व्यायाम	रा0इ0का0 कालेश्वर, पौड़ी, पौड़ी	रा0इ0का0 उज्याडी, पौड़ी, पौड़ी
11	श्री भरत सिंह कुँवर	विज्ञान	रा0इ0का0 सलियाना, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0इ0का0 बगासूधार, चम्बा, टिहरी
12	श्री यशपाल सिंह राणा	व्यायाम	रा0इ0का0 हिंसरियाखाल, कीर्तिनगर, टिहरी	रा0इ0का0 डामटा, नौगाँव, उत्तरकाशी

13	श्री जयवीर सिंह	सामाजिक विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 नलगांव, नारायणबगड़, चमोली	रा0इ0का0 कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली
14	श्री सुशील कुमार	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 कनोठाखाल, पोखरा, पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 बहेड़ा, चम्बा, टिहरी
15	श्री रमेश सिंह आर्य	गणित	रा0इ0का0 मरोडा, गैरसैण, चमोली	रा0इ0का0 गैरसैण, चमोली
16	श्री विनोद कुमार	गणित	रा0इ0का0 डांगी नैलचामी, भिलंगना, टिहरी	रा0उ0मा0वि0 लामरीधार, जाखणीधार, टिहरी
17	श्री दिनेश सिंह	कला	रा0इ0का0 रामाश्रम, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 खाण्ड, चम्बा, टिहरी
18	श्री राकेश मोहन बलोदी	व्यायाम	रा0इ0का0 चम्पेश्वर, पाबौ, पौड़ी	रा0इ0का0 कोट, पौड़ी
19	श्री हरेंद्र सिंह	कला	रा0इ0का0 पांजणा, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 बछेलीखाल, देवप्रयाग, टिहरी
20	श्री सतीश चंद्र पंत	कला	रा0इ0का0 जाख, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0उ0मा0वि0 पीतपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार
21	श्री सतीश चंद्र पांडे	कला	रा0उ0मा0वि0 मालकोट, पोखडा, पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 पाटीसैण, एकेश्वर, पौड़ी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

मढ़वाल मण्डल पौड़ी।


पृ0सं0/सेवा.अराज./ 5713 - 26

/3क(2)/अनि.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।


 अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)
 मढ़वाल मण्डल पौड़ी।